(369) (477)

नि/निग0/रीवा/2018/0128

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0 । २०/-

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

1- विद्यार्थी प्रसाद पटेल तनय स्व 0 रामपियारे निवासीग्राम बेलवा कुर्मियान तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

------ आवेदक / निगरानी कर्ता।

श्री गेंदलाल ... 12.17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

विरुद्ध

1- अनुसुइया प्रसाद पटेल तनय तिलकधारी,

2- राजबहोर तनय अनुसुइया पटेल (मृत) वारिसान :-

(अ) रामवती पटेल पत्नी स्व0 रामबहोर पटेल

(ब) विष्णु गोपाल तनय स्व0 रामबहोर पटेल

--- सभी निवासी ग्राम रमपुरवा तहसील मनगवां जिला रीवाम0प्र0।

-------- अनावेदक गण ।

3- शासन म0प्र0

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सर्किल सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा द्वारा प्र0क्र0 123/2015-16 , आदेश दि0 30-10-17 मुताविक धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई0 ।

मान्यवर ,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यहकि अधीनस्थ तहसील न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है ।

2- यहकि भूमि खसरा क्रमांक 389 रकबा 4-36 ए0 स्थित ग्राम रमपुरवा ज0नं 491, प0ह0 गुढ़वा तहसील मनगवां जिला रीवा जिसको आवेदक दिनांक 07-01-97 जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रेता श्रीमती मुसा0 सुखमन्ती से क्रयकिया था ।

3- यहकि विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत नामान्तरण हुआ एवं खसरे मे भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं । उक्त वादग्रस्त भूमि मुताविक कब्जा पश्चिम तरफ होने से बटांकन के आधार पर दिनांक 15-04-98 को नक्शा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

II/निग0/रीवा/भू–रा0/2018/0128 जिला–रीवा

विद्यार्थी प्रसाद पटेल/अनुसुइया प्रसाद पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी0एल0 पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, सर्किल सूरा, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 12/अ–5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	